

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी - श्री सी. एल. शर्मा, आर ए एस.
मुकदमा संख्या 32/2018

1- श्रीमती जुड़ेदा पारि फजलु रका पटान मुसलमान - प्रार्थी
निवासी: लुहारिया.

वनाभ
1- श्री फजलु पिरा कमरुद्दीन पटान नि:लुहारिया - 03180 - विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0गू0राज0अधिनियम 1956

आदेश : दिनांक - 23-3-2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0गू0राज0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल/करंडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं० 2779/1, 2782, 2783/2 कूल कित्ता 3 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-1-18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की कमी-पेंसी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारण किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल/करंडा में स्थित आराजी नम्बर 2779/1, 2782, 2783/2 कूल कित्ता 3 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की दशास्थिति को बनाये रखते हुये मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल/करंडा, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करंडा को पंजाब लेख है कि प्रार्थी द्वारा किये जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल/करंडा, भीलवाड़ा